

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(II)य¹ - 33/2007-

/ पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गुलजारबाग (पटना-7), तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में संचालित नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की योजनान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग (पटना-7) में सृजित पद पर कार्यरत शिक्षक के वेतन एवं भत्तादि के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू. 8,83,600=00 (आठ लाख तेरासी हजार छः सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1594, दिनांक 16.07.2015 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गुलजारबाग (पटना-7) तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रारंभ किये गए नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन की योजनान्तर्गत सृजित 40 राजपत्रित एवं 16 अराजपत्रित पदों का वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यरत बल के आधार पर कुल रू. 42,44,000=00 (बियालीस लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग (पटना-7) के पत्रांक-640, दिनांक 03.10.2015 के द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर, उक्त योजनान्तर्गत संस्थान में योजना मद के अधीन सृजित पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या-2150, दिनांक 08.09.2015 द्वारा पदस्थापित एवं कार्यरत शिक्षक के वेतन एवं भत्ते के भुगतानार्थ वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू. 8,83,600=00 (आठ लाख तेरासी हजार छः सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	विषयशीर्ष	राशि (रूपये में)
1.	वेतन	363600
2.	जीवन यापन भत्ता	440000
3.	मकान किराया भत्ता	72800
4.	परिवहन भत्ता	6000
5.	चिकित्सा भत्ता	1200
	कुल योग	883600

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, योजना बजट के मुख्यशीर्ष- "2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0101- स्नातक पत्र पाठ्यक्रम-विश्वबैंक सम्पोषित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना" (विपत्र कोड- P 2203001050101) के अधीन उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग (पटना-7) होंगे।

5. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गुलजारबाग, पटना-7 से की जायेगी।
6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(II)य¹ - 33/2007-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(II)य¹ - 33/2007-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(II)य¹ - 33/2007-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि.प्रा.(II)य¹ - 33/2007-

2986

/ पटना, दिनांक 21.12.15

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी- 3/बजट सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/12/15



21/12/15



सरकार के अपर सचिव

21/12/15